न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट गढी)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/214 /17

निर्णय दिनांक : 01.05.2018

उनवान

1. चन्दरी पुत्री पल्टू
2. जुम्मी पुत्री पल्टू
3. रामबाई पुत्री पल्टू जातियान जाटव निवासियान ग्राम नेवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. अजीज खां पुत्र अमर सिंह जाति मेव
2. छोटेलाल पुत्र किशना जाति जाटव
3. दाउद पुत्र अजीम खां जाति मेव निवासियान नेवाडा,
4. छोटेलाल पुत्र कन्नीराम जाति जाटव निवासी ग्राम नेवाडी तहसील रामगढ।

.......................असल प्रतिवादीगण

5. कल्ली पुत्री पल्टू जाति मेव निवासी ग्राम नेवाडा तह0 रामगढ।
6. रमेश पुत्र सोमोती
7. चरण सिंह पुत्र सोमोती
8. मोरा पुत्र सोमोती
9. हरबीर पुत्र सोमोती जातियान जाटव निवासियान ग्राम नेवाडा तहील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.01, 575 रकबा 1.00, 39 रकबा 0.34, 82 रकबा 0.15, 170 रकबा 0.10, 309 रकबा 0.09, 331 रकबा 0.28, 345 रकबा 0.11, 354 रकबा 0. 27, 353 रकबा 0.04 हैक्ट0 वाके ग्राम नेवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण वादीगण व तरतीबी

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल करना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वोह विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.01, 575 रकबा 1.00, 39 रकबा 0.34, 82 रकबा 0.15, 170 रकबा 0.10, 309 रकबा 0.09, 331 रकबा 0.28, 345 रकबा 0.11, 354 रकबा 0.27, 353 रकबा 0.04 हैक्ट0 वाके ग्राम नेवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार से अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का नींव निर्माण ना करे, जबरन कब्जा ना करे, मौके की शक्ल तब्दील न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गढी में दिनांक 01.05. 2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट गढी में दिनांक 01.05.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के आधार पर वादीगण खातेदार है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.01, 575 रकबा 1.00, 39 रकबा 0.34, 82 रकबा 0.15, 170 रकबा 0.10, 309 रकबा 0.09, 331 रकबा 0.28, 345 रकबा 0.11, 354 रकबा 0.27, 353 रकबा 0.04 हैक्ट0 वाके ग्राम नेवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार से अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का नींव निर्माण ना करे, जबरन कब्जा ना करे, मौके की शक्ल तब्दील न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत गढी में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट गढी)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं0 1/214 /17

निर्णय दिनांक : 01.05.2018

उनवान

1. चन्दरी पुत्री पल्टू
2. जुम्मी पुत्री पल्टू
3. रामबाई पुत्री पल्टू जातियान जाटव निवासियान ग्राम नेवाडा तहसील रामगढ (अलवर)।

..............................वादी

बनाम

1. अजीज खां पुत्र अमर सिंह जाति मेव
2. छोटेलाल पुत्र किशना जाति जाटव
3. दाउद पुत्र अजीम खां जाति मेव निवासियान नेवाडा,
4. छोटेलाल पुत्र कन्नीराम जाति जाटव निवासी ग्राम नेवाडी तहसील रामगढ।

........................असल प्रतिवादीगण

5. कल्ली पुत्री पल्टू जाति मेव निवासी ग्राम नेवाडा तह0 रामगढ।
6. रमेश पुत्र सोमोती
7. चरण सिंह पुत्र सोमोती
8. मोरा पुत्र सोमोती
9. हरबीर पुत्र सोमोती जातियान जाटव निवासियान ग्राम नेवाडा तहील रामगढ (अलवर)।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 574 रकबा 0.01, 575 रकबा 1.00, 39 रकबा 0.34, 82 रकबा 0.15, 170 रकबा 0.10, 309 रकबा 0.09, 331 रकबा 0.28, 345 रकबा 0.11, 354 रकबा 0.27, 353 रकबा 0.04 हैक्ट0 वाके ग्राम नेवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार से अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का नींव निर्माण ना करे, जबरन कब्जा ना करे, मौके की शक्ल तब्दील न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

अलवर राज0 में स्थित है जो दावा हाजा में विवादित है और जिसे